23

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म.प्र.

निग – 1754 – I – 16

शंकर सिंह तनय हरगोविन्द सिंह
निवासी बेरखेड़ी तहसील बीना जिला सागर म.प्र.

– पुनरीक्षणकर्ता

17 MAY 2016

विरूद्ध

रामसखी उर्फ गजरी बाई पत्नि गनपत सिंह ठाकुर
द्वारा कारंदा आम प्रेम सिंह तनय महराज सिंह ठाकुर
निवासी आचवल वार्ड बीना तहसील बीना जिला सागर म.प्र.

– प्रति पुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा ५०म.प्र. भू राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी बीना जिला सागर के अपील प्रकरण क्रमांक ५०अ/६ वर्ष २०१४–२०१५ पक्षकार रामसखी उर्फ गजरी बाई विरूद्ध शंकर सिंह में पारित आदेश दिनांक ०६.०४.२०१६ से दुखित होकर अन्य आधारों सहित निम्नलिखित आधारो पर यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है :————

१. यह कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, शून्य व प्रभावहीन होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

२. यह कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी बीना जिला सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक १३४अ/६ वर्ष २०१०–२०११ में पारित आदेश दिनांक २९.०८.२०११ के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी बीना के समक्ष दिनांक ०८.०६.२०१५ को समयावधि बाह्य अपील प्रस्तुत की तथा साथ में धारा ५ समयावधि अधिनियम का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

३. यह कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया कि पुनरीक्षणकर्ता ने अपने आवेदन पत्र में विवादित आदेश की जानकारी का स्त्रोत नहीं दर्शाया है। आवेदन पत्र में माह सन् २०१५ में पहली बार विवादित आदेश की जानकारी प्राप्त होना दर्शाया है। विवादित आदेश की जानकारी माह मई सन् २०१५ में किस दिनांक को किस

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 1751-I/16 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-1-17	यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बीना जिला सागर के अपील प्रकरण क्रमांक 50अ/6 वर्ष 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 6.4.2016 के विरूध्द म.प्र.भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रतिपुनरीक्षणकर्ता रामसखी उर्फ गजरीबाई द्वारा तहसीलदार बीना के राजस्व प्रकरण क्रमांक 134अ/6 वर्ष 2010-11 में पारित आदेश दिनांक 29.8.11 के विरूध्द अनुविभागीय अधिकारी बीना के समक्ष दिनांक 8.6.2015 को लगभग 3 साल 6 माह बिलम्ब से समयावधि वाह्य अपील प्रसतुत की थी जिसके साथ धारा 5 समयावधि अधिनियम का आवेदन पत्र बिलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 6.4.2016 के द्वारा स्वीकार किया गया है जिसके विरूध्द यह पुनरीक्षण पेश किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि प्रतिपुनरीक्षणकर्ता ने अपने धारा 5 के आवेदन पत्र मे तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.11 की जानकारी का स्रोत नही दर्शाया है। आवेदन पत्र मे पहली बार विवादित आदेश की जानकारी माह मई सन् 2015 मे होना दर्शाया है लेकिन किस दिनांक को किस माध्यम से आदेश की जानकारी प्राप्त हुई यह नही दर्शाया तथा आदेश की जानकारी होने पर किस दिनांक को सत्यप्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा किस दिनांक को सत्यप्रति तैयार की गई तथा किस दिनांक को प्रतिपुनरीक्षणकर्ता को सत्यप्रति प्राप्त	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 1751-I/16 जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

हुई। प्रतिपुनरीक्षणकर्ता रामसखी उर्फ गजरीबाई ने स्वयं का कोई शपथ पत्र भी धारा 5 के समर्थन में प्रस्तुत नही किया इस प्रकार प्रतिपुनरीक्षणकर्ता द्वारा बिलम्ब माफी हेतु कोई संतोषजनक कारण नही दर्शाया गया इसलिए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 6.4.2016 कानूनन स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आदेश स्पीकिंग आर्डर न होने से भी निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रकरण का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया। पुनरीक्षण के साथ प्रस्तुत स्थगन आवेदन को स्वीकार किया जाकर पेशी दिनांक 26.12.2016 तक स्थगन आदेश जारी किया गया था। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालयों के रिकार्ड संलग्न है। प्रतिपुनरीक्षणकर्ता को नोटिस जारी किये गये। प्रतिपुनरीक्षणकर्ता ने उपस्थित होकर अपने पक्ष समर्थन मे मौखिक रूप से अंतिम तर्क प्रस्तुत किये तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे अंतिम आदेश दिनांक 17.8.2016 पारित करने से पुनरीक्षण आवेदन पत्र निरस्त करने का आग्रह किया है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये।

मेरे द्वारा प्रकरण को अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को का अवलोकन किया गया। प्रतिपुनरीक्षणकर्ता रामसखी उर्फ गजरी बाई द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 5 के आवेदन पत्र मे तहसीलदार के आदेश दिनांक 29.8.11 की जानकारी माह मई 2015 मे होना बतलाया है तथा सत्यप्रति 5.6.2015 को प्राप्त होना बतलाया है। अपील दिनांक 8.6.2015 को प्रस्तुत की गई है। प्रतिपुनरीक्षणकर्ता द्वारा किस दिनांक को तहसीलदार के

[क्र. प. उ.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 1751-I/16 जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आदेश की जानकारी हुई यह स्पष्ट नही किया है और न ही अपने आवेदन पत्र में यह स्पष्ट किया है कि जानकारी होने के कितने दिन बाद सत्यप्रति हेतु किस दिनांक को आवेदन पेश किया तथा किस दिनांक को सत्यप्रति प्राप्त हुई। प्रतिपुनरीक्षकर्ता रामसखी द्वारा धारा 5 के समर्थन मे स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत न करके सामान्य अधिकार पत्र ग्रहीता प्रेमसिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिससे यह स्पष्ट नही होता कि आदेश की जानकारी रामसखी को कब हुई जबकि बिलम्ब माफी के लिए बिलम्ब का उचित कारण प्रकट होना आवश्यक है। प्रतिपुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के आवेदन से बिलम्ब का कोई उचित कारण दर्शित नही होता इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.4. 2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि इस पुनरीक्षण प्रकरण का मांग पत्र प्राप्त होने के पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपील में दिनांक 17.08.2016 को अंतिम आदेश पारित किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को मांग पत्र प्राप्त होने पर रिकार्ड वरिष्ठ न्याायालय को भेजना था। समयावधि पर प्रकरण वरिष्ठ न्यायालय मे लम्बित रहते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकार बिहीन आदेश दिनांक 17.08.2016 पारित किया गया है जो कि शून्य है तथा निरस्त किया जाता है। उपरोक्त आधार पर पुनरीक्षण आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.4.2016 एवं 17.08.2016 निरस्त किये जाते है। सदस्य	